डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

1. किरताराम पुत्र किस्तुरराम
2. मामताराम पुत्र मूलाराम
3. झमू पुत्री मूलाराम
4. आयमति पत्नी मूलाराम
5. बिरमाराम पुत्र रूगाराम (फौत)
6. अणची पत्नी उदाराम (फौत)
7. जुगताराम पुत्र रामुराम
8. मांगाराम पुत्र रामुराम
9. गेरो पत्नी रामूराम
10. तेजाराम पुत्र मंगलाराम (फौत)
11. बाबूराम पुत्र मंगलाराम
12. चौखाराम पुत्र मंगलाराम
13. जीयाराम पुत्र किस्तुरराम (फौत)
14. मंगतुराम पुत्र चेतनराम
15. लूणी पुत्री जीवणराम

सभी जाति मेघवाल
निवासीगण रामसर,
तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेण्ट

1. भूराराम पुत्र खींवरराम
2. पन्नाराम पुत्र कुम्भाराम
3. राणाराम पुत्र कुम्भाराम
4. हरूराम पुत्र खींवरराम

   सभी जाति मेघवाल,
   निवासीगण रामसर, तहसील
   शेरगढ, जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार, शेरगढ
   जिला जोधपुर
6. सहायक अभियन्ता
   जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.,
   देचू,
   जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी उपखण्ड अधिकारी शेरगढ दिनांक कमशः 20 मार्च 2015 एवं 04 सितम्बर 2015 राजस्व वाद संख्या 75/2013 भूराराम बनाम किरताराम इत्यादि

--- 0 ---

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 22 अक्टूबर 2021 बहाजरी अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत मिनजानिब अपीलाण्ट्स एवं अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं मूलवाद बंटवाड़ा का होने के कारण अपीलाण्ट्स को **नये सिरे से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुए आलौच्य अपील जरिये अबेटमेण्ट खारिज की जाती है।** खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग --/------) रूपये ------------/-- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का -------/-- अदा करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22अक्तू. 2021	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। जिनकी बहस अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत निम्नलिखित प्रार्थनापत्रों के संबंध में सुनी गयी-- 1. दिनांक 21 नवम्बर 2017 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 11 सीपीसी जिसके जरिये अपीलाण्ट संख्या 10 तेजाराम के फौत हो जाने के कारण उसके कायममुकामान को अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया गया। 2. दिनांक 18 अक्तूबर 2018 की आदेशिका के अनुसार रेस्पो. संख्या 5, 6 व 13 के फौत हो जाना जाहिर करते हुए उनके कायममुकामान की कार्यवाही हेतु समय चाहा गया। तत्पश्चात दिनांक 04 फरवरी 2020 को अपीलाण्ट्स की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी व आदेश 1 नियम 10 सीपीसी धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया, जिसके जरिये अपीलाण्ट्स संख्या 5 व 13 क्रमशः बीरमाराम पुत्र रूगाराम तथा जीयाराम पुत्र किस्तुरराम के फौत हो जाने के कारण उनके कायममुकामान को अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया गया। 3. दिनांक 03 मार्च 2021 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी, जिसके द्वारा अपीलाण्ट्स की ओर से निवेदन किया गया कि मृतक पक्षकार बीरमाराम (अपीलाण्ट संख्या 5) के कायममुकामान वकालतनामा पेश नही करना चाहते है। अतः उक्त मृतक बीरमाराम के कायममुकामान को बतौर रेस्पो. पक्षकार बनाया जावे। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने उक्त प्रार्थनापत्रों को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता-रेस्पो. ने इसका विरोध करते हुए कथन	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 22 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया।

22/X/2021

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील	/	1. स्टाम्प वकलातनामा	/
2. स्टाम्प वकालतनाम		2. स्टाम्प अर्जी	
3. इजराय हुक्मनामा		3. इजराम हुक्मनामा	
4. वकील फीस बाबत		4. मेहनताना वकील	
मीजान		मीजान	

22/X/2021

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया कि इन प्रार्थनापत्रों के समर्थन में अपीलाण्ट्स की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है। शपथपत्रों के अभाव में उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। साथ ही अपीलाण्ट संख्या 6 को फौत हो जाना दिनांक 18 अक्तूबर 2018 को जाहिर किए जाने के उपरान्त भी आदिनांक तक उसके कायममुकामान की कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः इन दोनों कारणों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलाण्ट जरिये अबेटमेण्ट खारिज की जावे।

उक्त प्रार्थनापत्रों के संबंध में दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन करने के बाद यह पाया जाता है कि **इन प्रार्थनापत्रों के समर्थन में अपीलाण्ट्स की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है।** सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक **प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथ पत्र होना अनिवार्य है।** शपथपत्रों के अभाव में उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। साथ ही **अपीलाण्ट संख्या 6 को फौत हो जाना दिनांक 18 अक्तूबर 2018 को जाहिर किए जाने के उपरान्त भी आदिनांक तक उसके कायममुकामान की कार्यवाही नहीं की गयी है।**

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं मूलवाद बंटवाड़ा का होने के कारण अपीलाण्ट्स को **नये सिरे से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुए आलौच्य अपील जरिये अबेटमेण्ट खारिज की जाती है।** खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित लौटाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

22/11/21

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर